अनुदान संख्या 93 - पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 93 - MINISTRY OF TOURISM

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	1108,41,00	1108,43,00	1052,88,31	-55,54,69
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				51,01,00
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		11,00,00	1,65,00	-9,35,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				9,34,00

टीका और टिप्पणियां

1 अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10500.00	..	..	..
पु.	R.	–10500.00			
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"				
पर्यटन	Tourism				
मू.	O.	76221.00			
पू.	S.	2.00	78361.90	77921.34	-440.56
पु.	R.	2138.90			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	22400.00	26340.00	26339.87	-0.13
पु.	R.	3940.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	1100.00	400.00	400.00	..
पु.	R.	-700.00			

(I) ₹11761.00 लाख का प्रावधान (अगस्त, 2010 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; इनमें से ₹11660.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹11761.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh under one head obtained in August, 2010) remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹11660.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "सामान्य (पर्यटन) - प्रशिक्षण - आई एच एम एस/एफ सी आई / आई आई टी टी एम / एन सी एच एम सी टी को सहायता" - ₹950.00 लाख;

(ख) "सामान्य (पर्यटन) - संवर्धन और प्रचार - आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" - ₹750.00 लाख ; और

(ग) "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद /अवसंरचना का विकास" - ₹8800.00 लाख ।

(A) Major Head "2552" –

(a) "General (Tourism) – Training–Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT"–₹950.00 lakhs;

(b) "General (Tourism) – Promotion and Publicity – Domestic Promotion and Publicity including Hospitality"- ₹750.00 lakhs; and

(c) "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits"– ₹8800.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3452" -

(क) "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक केंद्र - पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय अभिकरणों को सहायता" - ₹1000.00 लाख नई परियोजनाओं/ प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश से होने वाली आय की वापसी के लिए प्रावधान" - ₹160.00 लाख - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश से होने वाली आय की वापसी के कुछ विवादित और न्यायाधीन मामलों का निपटान न होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3452" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पर्यटन अवसंरचना - पर्यटक आवास - अधिक राजस्व सृजनकारी परियोजनाओं के लिए सहायता" - ₹580.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक -निजी भागीदारी स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों के प्राप्त न होने, परियोजना संबंधी दिशा-निर्देशों के संशोधनाधीन होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(i) "पर्यटन महानिदेशालय"- ₹1028.54 लाख की बचत (₹2210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) "Major Head "3452" -

(a) "Tourist Infrastructure - Tourist Centres – Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of new projects/ proposals.

(b) "General – Other Expenditure – Provision for refund of disinvestment Proceeds for ITDC" – ₹160.00 lakhs - due to non-settlement of some disputed and subjudice cases of refund of disinvestment proceeds for ITDC and reduction of provision at revised estimates stage.

(II) Under Major Head "3452" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Assistance for Large Revenue Generating Projects" – saving of ₹580.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals under Public Private Partnership Scheme, guidelines on projects being under revision.

(B) "General" –

(a) "Direction and Administration" –

(i) "Directorate General of Tourism" – saving of ₹1028.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2210.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments for Information Technology Projects and cut imposed by the Ministry of Finance.

(ii) ''विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय'' - ₹339.68 लाख की बचत (₹3065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से भारत आधारित पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशिक्षण - होटल प्रबंधन, भोजन-प्रबंध प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थानों को अनुदान'' - ₹697.45 लाख की बचत (₹1020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) होटल प्रबंधन संस्थान से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय'' - ₹1584.44 लाख की बचत (₹33770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विपणन विकास सहायता, स्थायी वित्त समिति द्वारा पूंजीगत आर्थिक सहायता मामलों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने सहित समुद्रपार संवर्धन और प्रचार में मीडिया अभियान क्रियाकलापों के शुरू होने में विलम्ब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''बाजार अनुसंधान'' - ₹200.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''आवास संरचना को प्रोत्साहन'' - ₹950.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा पूंजीगत आर्थिक सहायता मामलों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटन - (सामान्य) - प्रशिक्षण - आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को अनुदान'' के अंतर्गत ₹440.00 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(ii) "Tourist Offices Abroad" – saving of ₹339.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3065.00 lakhs) was due to India based posts being vacant owing to administrative reasons.

(b) "Training – Grants to Institutes of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition" – saving of ₹697.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1020.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Institute of Hotel Management and cut imposed by the Ministry of Finance.

(c) "Promotion and Publicity – Direct Expenditure" – saving of ₹1584.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33770.00 lakhs) was due to delay in commencement of media campaign activities in overseas promotion and publicity including marketing development assistance, non-approval of capital subsidy cases by Standing Finance Committee and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(d) "Other Expenditure" –

(i) "Market Research" – saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from the State Governments.

(ii) "Incentive to Accommodation Infrastructure" – saving of ₹950.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non approval of capital subsidies cases by Standing Finance Committee and cut imposed by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Tourism - (General) - Training – Grants to IHMs/FCI/IITTM/NCHMCT"– saving of ₹440.00 lakhs (against the

की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद / अवसंरचना का विकास" के अंतर्गत ₹600.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्तातों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8373.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3452" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2011 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास" - ₹7483.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7406.38 लाख था।

(खा) "सामान्य - प्रशिक्षण - आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" - ₹890.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹889.50 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹4489.99 लाख का अधिक व्यय (₹21000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और लंबित तथा जारी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के कारण हुआ।

sanctioned provision ₹600.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(IV) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation – Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuits" – saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territory Governments.

(V) Under one head saving of ₹100.00 lakhs occurred constituting 67 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹8373.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2011 under Major Head "3452" – under the following heads:-

(A) "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" – ₹7483.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7406.38 lakhs.

(B) "General – Training – Asstt. to IHMs/FCI/IITTM/NCHMCT" – ₹890.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹889.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation – Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuits" – excess of ₹4489.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to provide additional central financial assistance to State Governments for pending on-going infrastructure projects.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष “5452”	Major Head “5452”				
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	1100.00	166.00	165.00	-1.00
पु.	R.	-934.00			

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) “पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक केन्द्र - बौद्ध केन्द्र (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित)” के अंतर्गत - ₹835.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अजंता एलोरा परियोजना का दूसरा चरण शुरू न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under “Tourist Infrastructure – Tourist Centres – Buddhist Centres (including Externally Aided Projects)”- saving of ₹835.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-taking up of 2nd phase of Ajanta Ellora Project and cut imposed by the Ministry of Finance.